न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–53 / 2022

उनवान

1. गुड्डू शाह पुत्र अलाबन्दा,
2. मकबुल पुत्र अलाबन्दा,
3. नफीसा बानो पुत्री अलाबन्दा,
4. मीरा बानो पुत्री अलाबन्दा,
5. सन्नू खां पुत्र अलाबन्दा
6. सलीम शाह पुत्र अलाबन्दा,
7. सलीम खातून पुत्री अलाबन्दा,
8. हसीना बानो पुत्री अलाबन्दा,

समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. अकरम पुत्र लील्याशाह
2. अनवर पुत्र लील्याशाह
3. अशरफ पुत्र लील्याशाह
4. कालू पुत्र शमशुद्दीन
   समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
5. गुलशन पुत्र लील्याशाह, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम शाहपुरा, जिला जयपुर।
6. जुम्मा पुत्र शमशुद्दीन
7. नवाब पुत्र लील्याशाह
8. पप्पू पुत्र लील्याशाह
   समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
9. बबली पुत्री ईदुशाह, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
10. बरकत पुत्र शमशुद्दीन
11. भोलू पुत्र शमशुद्दीन
12. मजीद पुत्र लील्याशाह
    समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
13. मुन्नी पुत्री ईदुशाह, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम धानोता, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
14. मनीफा पुत्री शमशुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम बिलान्दरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
15. शहीदन पत्नी शमशुद्दीन
16. शहीदा बानो पत्नी लील्या (नाम हजफ)
    समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
17. सोनी पुत्री लील्याशाह, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
18. हरफूल शाह पुत्र ईदुशाह, जाति मुसलमान, नि[illegible] तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
19. जूनेद खान पुत्र आरीफ खान [illegible] हरफूल शाह पुत्र ईदुशाह [illegible]रिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
20. सुवालाल पुत्र कालूराम, जाति अहीर, निवासी ग्रा[illegible]
21. अख्तर पुत्र स्व. पप्पू
22. फौजी पुत्र स्व. पप्पू
23. रिहान पुत्र स्व. पप्पू

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

24. मुन्तस्या पुत्री स्व. पप्पू
25. मुस्कान पुत्री स्व. पप्पू
26. तहीबा पत्नी स्व. पप्पू
27. बाबू पुत्र स्व. सफी
28. इकबाल पुत्र स्व. सफी
29. मोनू पुत्र स्व. सफी
समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
30. सायरा पुत्री स्व. सफी, जाति मुसलमान, निवासी झोटवाडा, जिला जयपुर।
31. बबलू पुत्र स्व. रफीक
32. सोकत पुत्र स्व. रफीक
33. शाहरूख पुत्र स्व. रफीक
34. अरमान पुत्र स्व. रफीक
35. खेरूनी बानो पुत्री स्व. रफीक
समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
36. मुजफ्फर पुत्र तोफन, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
37. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
38. नायब तहसीलदार खेजरोली, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।
39. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (हाल पंजाब नेशनल बैंक), जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिल जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषैधाज्ञा
वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक :– 13.11.2024

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम तिगरिया, पटवार हल्का तिगरिया, भू. अभि. नि. क्षैत्र खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में खाता संख्या 640 के खसरा नम्बर 2546, 2550 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.56 हैक्टेयर, भूमियां स्थित है। उक्त भूमियां ही विवादग्रस्त आराजीयात् है। उक्त विवादित आराजीयात् वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 व खातेदार पप्पू पुत्र शमशुद्दीन, तोफन पुत्र ईदुशाह, सफी पुत्र सावता की संयुक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है। पप्पू पुत्र शमशुद्दीन, तोफान पुत्र ईदुशाह, सफी पुत्र सावता का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 21 लगायत 36 है। उक्त भूमियों का आज दिन तक भी विधिवत् रूप से किसी भी सक्षम अधिकारी एवं न्यायालय द्वारा तकासमा नहीं किया गया है उक्त विवादित आराजीयात् भूमि में वादीगण का 8/40 भाग निहित है तथा शेष भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 36 की खातेदारी भूमि है जिसका आज दिन तक भी किसी भी न्यायालय या सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत तकासमा नही हुआ है तथा सभी खातेदारों ने विवादित आराजीयात् को आपसी सहमति से रखा है। वादीगण स्वयं के हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 36 के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त है तथा संयुक्त रूप से ही कृषि कार्य कर निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में निहित हिस्से अनुरुप लगातार राज्य सरकार को लगान सरकारी अदा करते आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:31:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

है। तथा वर्तमान में भी कर रहे हैं। वादीगण द्वारा विवादित आराजीयात् के अन्य सहखातेदार [illegible]र्थात् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 36 से विवादित आराजीयात् का कब्जे काश्त के आधार पर विधिवत् रुप से तकासमा किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 36 द्वारा वादीगण को शीघ्र तकासमा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल किया जाता रहा तथा वादीगण के अनेक मर्तबा तलब व तकाजा करने पर भी आज दिवस तक भी विवादित आराजीयात् का विधिवत् तकासमा नहीं करवाया गया। वादीगण द्वारा दिनांक 06.06.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 36 से सम्पर्क कर विवादित आराजीयात् का कब्जे काश्त के आधार पर विधिवत् तकासमा किये जाने बाबत् निवेदन करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 36 उग्र हो गये तथा वादीगण को विवादित आराजीयात् का विधिवत् तकासमा करने से साफ इन्कार कर दिया तथा विवादित आराजीयात् जो वर्तमान में शामलाती कब्जे काश्त की भूमि है में बिना विधिवत् तकासमा करवाये ही निर्माण कार्य करने व विवादित भूमि का बिना विधिवत तकासमा करवाये ही बेचान, हस्तान्तरण करने की धमकी दी गई, जिस कारण वादीगण को उक्त वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सालिम डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात् का कब्जे काश्त के आधार पर विधिवत तकासमा किया जाकर विवादित आराजीयात् भूमि नया खाता संख्या 640 में वादीगण का खातेदारी हिस्सा 8/40 भाग का पर्चा लगान अलग से कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 36 विवादित आराजीयात् का बिना विधिवत् तकासमा करवाये ही विवादित भूमि पर किसी प्रकार कोई निर्माण नहीं करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही मौके पर नींव आदि खोदे, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही मौके पर नींव आदि खोदे, ना ही अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था को हस्तानान्तरित नहीं करें, ना हीं वादीगण को विवादित आराजीयात् में निहित वादीगण के शामलाती कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग से ही वंचित करें, ना ही कोई रास्ता निकाले, ना ही वृक्षों को काटे, ना ही वादीगण के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी उत्पन्न करें, ना ही वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ही कारित करें। उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 36 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन व कर्मचारी के जरिये करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट [illegible] तहसीलदार चौमूं के मौका निरीक्षण करने पर पाया गया की [illegible] भूमि आवासीय व व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। मौके पर [illegible] व्यावसायिक दूकाने, काम्पलेक्स व आवासीय मकान बने हुए है। इसलिए कर्रेजात रिपोर्ट ब[illegible]ा जाना सम्भव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमने प्रकरण में उभयपक्षो की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादी का वाद तकासमा एवं स्थाई निषाधाज्ञा का है। लेकिन विवादित भूमि आवासीय व व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है जिससे उक्त भूमि का तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाने योग्य है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: श्रीमती कनक जैन (R.A.S.)

उनवान

1. गुड्डू शाह पुत्र अलाबन्दा,
2. मकबुल पुत्र अलाबन्दा,
3. नफीसा बानो पुत्री अलाबन्दा,
4. मीरा बानो पुत्री अलाबन्दा,
5. सन्नू खां पुत्र अलाबन्दा
6. सलीम शाह पुत्र अलाबन्दा,
7. सलीम खातून पुत्री अलाबन्दा,
8. हसीना बानो पुत्री अलाबन्दा,

समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. अकरम पुत्र लील्याशाह
2. अनवर पुत्र लील्याशाह
3. अशरफ पुत्र लील्याशाह
4. कालू पुत्र शमशुद्दीन
   समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
5. गुलशन पुत्र लील्याशाह, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम शाहपुरा, जिला जयपुर।
6. जुम्मा पुत्र शमशुद्दीन
7. नवाब पुत्र लील्याशाह
8. पप्पू पुत्र लील्याशाह
   समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
9. बबली पुत्री ईदुशाह, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
10. बरकत पुत्र शमशुद्दीन
11. भोलू पुत्र शमशुद्दीन
12. मजीद पुत्र लील्याशाह
    समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
13. मुन्नी पुत्री ईदुशाह, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम धानोता, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
14. मनीफा पुत्री शमशुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम बिलान्दरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
15. शहीदन पत्नी शमशुद्दीन
16. शहीदा बानो पत्नी लील्या (नाम हजफ)
    समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
17. सोनी पुत्री लील्याशाह, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम [illegible]पुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
18. हरफूल शाह पुत्र ईदुशाह, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
19. जूनेद खान पुत्र आरीफ खान जरिये नाबालिक संरक्षक पिता हरफूल शाह पुत्र ईदुशाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

20. सुवालाल पुत्र कालूराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
21. अख्तर पुत्र स्व. पप्पू
22. फौजी पुत्र स्व. पप्पू
23. रिहान पुत्र स्व. पप्पू
24. मुन्तस्या पुत्री स्व. पप्पू
25. मुस्कान पुत्री स्व. पप्पू
26. तहीबा पत्नी स्व. पप्पू
27. बाबू पुत्र स्व. सफी
28. इकबाल पुत्र स्व. सफी
29. मोनू पुत्र स्व. सफी

समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

30. सायरा पुत्री स्व. सफी, जाति मुसलमान, निवासी झोटवाडा, जिला जयपुर।
31. बबलू पुत्र स्व. रफीक
32. सोकत पुत्र स्व. रफ़ीक
33. शाहरूख पुत्र स्व. रफीक
34. अरमान पुत्र स्व. रफीक
35. खेरूनी बानो पुत्री स्व. रफीक

समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

36. मुजफ्फर पुत्र तोफन, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
37. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
38. नायब तहसीलदार खेजरोली, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।
39. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (हाल पंजाब नेशनल बैंक), जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिल जयपुर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः— 13.11.2024

मुकदमा नं0:—53 / 2022

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

वाके खाता संख्या 640 के खसरा नम्बर 2546, 2550 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.56 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम तिगरिया, पटवार हल्का तिगरिया, भू. अभि. नि. क्षैत्र खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर भूमि आवासीय व व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है जिससे उक्त भूमि का तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतः वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत .... [illegible] मुकदमे का मय सूद वगैरह .... [illegible] को अदा करें .... फीसदी सालाना आज की तारीख [illegible] की जारी किया गया। बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख [illegible] 13/11/2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प 4......रूपये पर प्लीडर कह फीस 5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय 6.कमिशनर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	2 1	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 2.अर्जी के लिये स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय 5.कमिशनर की फीस 6.आदेशिका की तामिल	2
जोड	3	जोड	2

Signature Not Verified

Digitally signed by Karak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner